



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

Case File No: NCST/ATY-1009/MP/5/2023-APCR

Dated: 28.03.2023

To

श्री सूरज सिंह बघेल और अन्य  
ग्राम भूटियापुरा बलवारीला  
तहसील गंधवानी  
जिला धार (मध्य प्रदेश)

**Sub:** गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी परिवारों पर हमला करने एवं मकानों, फसलो एवं पशु सम्पदा को नष्ट करने के सम्बन्ध में - श्री सूरज सिंह बघेल एवं अन्य का आवेदन

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **10.04.2023 समय 11:00 A.M.** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभागार, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हो।

(अंकित कुमार सेन / Ankit Kumar Sen)  
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer